न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 36/2022

1– श्री शैतानसिंह
2– श्री भागचन्द
पुत्रगण श्री भंवरसिंह, जाति रावत, निवासीगण ग्राम नयागांव कास्या, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट्स*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

.....रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री सीताराम रावत, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक–13.02.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2078 में श्री शैतानसिंह व श्री भागचन्द पुत्रगण श्री भंवरसिंह, जाति रावत, निवासीगण ग्राम नयागांव कास्या, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ने ग्राम नयागांव के आराजी खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म गै0मु0 रास्ता में से रकबा 0.02 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से लोहे का गेट व पक्का कोना पिलर व तारबन्दी लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 11/2022 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 20.04.2022 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि से अतिक्रमी की बेदखली व शास्ति कायम की गई। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 20.04.2022 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड मंगवाया गया। पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। बहस हेतु निश्चित दिन पैरोकार सरकार के अनुपस्थित रहने पर वकील अपीलान्ट्स की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर दिनांक 15.03.2022 को प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी कर दिनांक 28.03.2022 व 07.04.2022 को गैरसायल को अनुपस्थित की आदेशिका लेखबद्ध करते हुए एक तरफा कार्यवाही कर अपीलान्ट्स को बिना साक्ष्य, सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिये तथा गुणावगुण पर सुनवाई करने के बजाय विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर मनमाने तरीके से दिनांक 20.04.2022 को आक्षेपीय आदेश पारित किया है एवं दिनांक 29.04.2022 को अपीलान्ट्स की खातेदारी में स्थित मकानों के गेट में तोड़ फोड़ की गई है। पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जबकि गेट अपीलान्ट्स की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1037, 1057 व 1058 के अन्दर लगा हुआ है एवं रास्ता हाल खसरा संख्या 1056 में खातेदारी आराजी के पश्चात स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके एवं रिपोर्ट की जांच किये बिना केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर सम्पूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए गैर कानूनी व विधि विरूद्ध तरीके से मात्र 35 दिन में ही विवादित आराजी से बेदखली व मनमर्जी से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से लोहे का गेट व पक्का कोना पिलर व तारबन्दी लगाकर अतिक्रमण किया गया है एवं विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है जिसका नियमन भी नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट्स का यह कथन भी गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर मौके की जांच करने के पश्चात् विवादित आराजी पर अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है एवं उसमें हम किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट्स सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 13.02.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

13/2

(लोकेश कुमार गौतम)
अपर कलक्टर, अजमेर

(लोकेश कुमार गौतम)
अपर कलक्टर, अजमेर